



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 5 नवंबर, 2014

परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 46/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्ध

सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : के.मा.शि.बो. की अभिव्यक्ति शृंखला : देशभक्त सुब्रह्मण्य भारती दिवस।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

विभिन्न मनोभावों के स्फुरण से कविता का जन्म होता है। इन भावनाओं को जब कलमबद्ध किया जाता है तो यही मनोभाव आनेवाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बनते हैं। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने से पहले अनेक कवियों ने भारतीय इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। ऐसे साहित्यकार की ख्याति अपने अपरिमित योगदान के लिए केवल भारतीय साहित्य जगत में ही नहीं अपितु समूचे भारत में अक्षुण्ण है।

के.मा.शि.बो. एक ऐसे ही महाकवि सुब्रह्मण्य भारती को नमन करता है और 11 दिसंबर, 2014 को अभिव्यक्ति शृंखला: 'सुब्रह्मण्य भारती, एक देशभक्त कवि दिवस' के रूप में घोषित करता है। सुब्रह्मण्य भारती ने सदैव प्रत्येक मनुष्य को समदृष्टि से देखा और ईश्वर की एकरूपता पर विश्वास किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए जूझते हुए सुब्रह्मण्य भारती ने धार्मिक व जातीय भेदभाव, अंधविश्वास, लैंगिक असमानता, अज्ञानता और गरीबी जैसी सामाजिक समस्याओं को निर्मूल करने के लिए अथक परिश्रम किया।

इस अभिव्यक्ति शृंखला में के.मा.शि.बो. तथा देश के सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। छात्र तीन वर्गों : (i) कक्षा 1-V (ii) कक्षा VI-VIII (iii) कक्षा IX-XIII में स्वरचित कविता निम्न साधनों द्वारा जमा करवा सकते हैं – (i) ऑन लाइन (ii) ऑफ लाइन (cbseacademic.in पर 10 दिसंबर, 2014 को लिंक प्रदान किया जाएगा) (iii) वाट्सअप (संलग्नक 1 देखें)। विषय प्रतियोगिता से एक दिन पहले घोषित किए जाएंगे। प्रविष्टियाँ 11 दिसंबर, 2014 को 9.00 बजे से 5.30 बजे तक अंग्रेज़ी और अन्य 22 निर्धारित भाषाओं में जमा कर सकते हैं। 36 श्रेष्ठ प्रविष्टियों को 2500/- रूपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रामाणिक ई मेल आई डी वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे। यदि रचना किसी भी चरण पर अमौलिक पाई गई तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। रचना की मौलिकता जानने के लिए संभावित विजेता से टेलीफोन पर अथवा साक्षात् बातचीत की जाएगी। जो प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप में जमा नहीं करवाई जाएगी, उसे तुरंत रद्द घोषित कर दिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रविष्टि के सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए 011-23212603 / 23234324 / 23220154 पर संपर्क करें।

आपकी प्रतिभागिता की आकांक्षी,

भवदीया,

हस्ताक्षरित/-

डॉ.साधना पाराशर,

निदेशक(शैक्षणिक/अनुसंधान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाजा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसंधान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसंधान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)